न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 23/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
कालूसिंह पुत्र उकसिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत निवासी आकोली जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :-

1. श्री तेजसिंह बालावत वकील प्रार्थी
2. सरकारी वकील (अप्रार्थी)

निर्णय

दिनांक :-19.06.2019

प्रार्थी ने जरिये राजस्व वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा आकोली में स्थित आराजी खसरा नं0 2471/603 रकबा 0.54 हे0 प्रार्थी के नाम खातेदारी रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी का सीमा चिन्ह स्पष्ट नही है जिससे विवाद उठने की पूर्णतया संभावना है। प्रार्थी ने सीमाचिन्ह (पत्थरगढी) करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व प्रकरण का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा 2471/603 रकबा 0.54 हे0 राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। इस प्रकरण में भी अप्रार्थी को जवाब देही हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। चुंकि राजस्व रेकर्ड अनुसार आराजी खसरा नं0 2471/603 रकबा 0.54 हे0 का सीमांकन कर नियमानुसार पत्थरगढी करवाया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही स्वीकार किया जाता है एवं सरहद आकोली में स्थित आराजी खसरा नं0 2471/603 रकबा 0.54 हे0 के स्थाई बिन्दू से सीमाचिन्ह का नियमानुसार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी तहसीलदार भू0अ0 जालोर के समक्ष पत्थरगढी करवाये जाने हेतु नियमानुसार राजकीय शुल्क राजकोष में जमा करावे व तहसीलदार (भू0अ0) जालोर एक राजस्व टीम का गठन कर विधि अनुरूप स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू0अ0) जालोर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/6/19
(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 15:44:02 IST
Reason: SelfAttested